REET 2025

LEVEL-1&2

वंदन बैच

POLITY

जिला प्रशासन

Part -2

LIVE 11-02-2025 07:00 PM

पटवारी

- ब्रिटिश काल में सन् 1873 के राजस्व कानून के अधीन पटवारी के पद को सरकारी माना गया।
- स्वतंत्र भारत में 1963 में लम्बरदार पद के समाप्ति के बाद पटवारी पद का सृजन किया गया।
- राजस्व कार्यों के लिए एक तहसील को कुछ पटवार क्षेत्रों (सर्किल) में विभाजित किया जाता है। पटवार सर्किल की स्थापना एवं परिवर्तन राज्य सरकार की अनुमति से भू-लेख निदेशक नामक पदाधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

पटवारी के कार्य

- गांव की भू-सम्पत्ति से संबंधित विभिन्न अभिलेखों को रखने का दायित्व पटवारी का होता है।

  ↳ Recorded

- गांव का पटवारी गांव की समस्त भूमि का निर्धारित प्रकारों में वर्गीकरण करता है, खेतों का नाप रखता है, खेतों के नक्शे बनाता है।
- भूमि के मालिक का नाम व उसकी भूमि का पूर्ण विवरण रखता है।

REET POLITY

- ग्रामीण कृषकों एवं भूमि मालिकों की समस्याओं के समाधान हेतु पटवारी द्वारा विशिष्ट प्रशासनिक राजस्व अभियान संचालित किये जाते है।
- फसल तैयार होने पर पटवारी उसका विवरण तैयार करता है जिसे गिरदावरी करना कहते हैं।
- इसके साथ ही पटवारी किसानों से भूमि कर वसूल करता है, जिसे भू-राजस्व या लगान कहते हैं।

Land tax

REET POLITY

- पटवारी अपने पटवार क्षेत्र को सभी ग्रामों की भू-राजस्व, फसल, पशु धन, सिंचाई आदि से संबंधित सांख्यिकी का एकत्रण कर उन्हें जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्व मंडल को संप्रेषित करता है।
- पटवारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के समय मतदान दलों की ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था करता है तथा ग्राम पंचायत की वित्त व कर समिति की कार्यवाहियों में मुख्य सहायक की भूमिका निभाता है।

नोट –

तहसील स्तर पर गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) को पटवारी के कार्यों के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया जाता है।

न्याय व्यवस्था

- नागरिकों में सामान्यतः तीन प्रकार के विवाद हो सकते हैं-

दीवानी विवाद-

- सम्पत्ति (जमीन-जायदाद), चीजों की खरीददारी, विवाह, किराया और संविदा संबंधी विवाद दीवानी विवाद कहलाते हैं और इन विवादों का निपटारा दीवानी न्यायालय में होता है।

civil court

फौजदारी विवाद – (criminal dispute)

- हत्या, मारपीट, चोरी तथा शान्ति-भंग करने से संबंधित विवाद फौजदारी विवाद कहलाते हैं और इन विवादों की सुनवाई फौजदारी न्यायालय में होती है।

राजस्व विवाद –

- भूमि संबंधी विवाद में कृषि भूमि के उत्तराधिकार, नामान्तरण, खातेदारी, लगान आदि के विवाद आते हैं। ऐसे मामले क्षेत्राधिकार के अनुसार उप-तहसीलदार, तहसीलदार अथवा सहायक कलेक्टर के यहाँ प्रस्तुत होते हैं। जिले में अन्तिम रूप से अपीलों का निर्णय जिला कलेक्टर करता है।

न्याय व्यवस्था

- दीवानी
- फौजदारी
- राजस्व

REET POLITY

- जिले में मुख्यतः तीन प्रकार के न्यायालय कार्यरत होते हैं।

नागरिक विवाद

- दीवानी विवाद (सिविल मामले) → दीवानी न्यायालय
- फौजदारी विवाद (आपराधिक मामले) → फौजदारी न्यायालय
- राजस्व विवाद (राजस्व मामले) → राजस्व न्यायालय

फौजदारी न्यायालयों में कार्य प्रक्रिया

- फौजदारी मामलों में सबसे पहले पीड़ित पक्ष को अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में सूचना देना जरूरी होता है, इसे प्रथम सूचना प्रतिवेदन (F.I.R.) कहते है।
- इसके बाद पुलिस मामले की छानबीन कर सबूत इकट्ठा करके न्यायालय में चालान प्रस्तुत करती है।
- न्यायालय सबूतों, गवाहों और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर अपना निर्णय देता है।

REET POLITY

जिले में विशिष्ट न्यायालय

- लोक अदालत
- पारिवारिक न्यायालय
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति न्यायालय
- जिला उपभोक्ता मंच
- मोटर वाहन दुर्घटना न्यायालय
- श्रम न्यायालय

  Labour Court

लोक अदालत

- न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश के द्वारा विवादों को समाप्त करवाने के लिए हमारे देश में लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है।
- प्रत्येक जिले में एक स्थायी लोक अदालत होती है तथा निर्धारित कार्यक्रमानुसार लोक अदालतों को स्थानीय स्तर पर भी लगाया जाता है।

REET POLITY

विधिक सेवा प्राधिकरण-

- नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना।
- कानूनी साक्षरता फैलाना
- लोक अदालतों का आयोजन करना
- विवाद निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधानों को प्रोत्साहन देना
- अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देना

नोट-

- विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, पिछड़े व असहाय लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है।

REET POLITY

	फौजदारी कानून		दीवानी कानून
1.	ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि।	1.	इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है।
2.	इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट/प्राथमिको (एफआईआर) दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जाँच करती है और अदालत में केस फाइल करती है।	2.	प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है।
3.	अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है।	3.	अदालत राहत की व्यवस्था करती है।